न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2025 / 43

दायर दिनांक 28.04.2025

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

–सायल–

बनाम

राहुल पुत्र जयसिंह जाति वालमिकी उम्र 21 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू।

–गैरसायल–

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।**
2. **गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**

निर्णय   दिनांक : 29.07.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल राहुल पुत्र जयसिंह जाति वालमिकी उम्र 21 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा साहवा पुलिस थाना साहवा जिला चूरू का रहने वाला है जो शराब बेचने का आदी है एवं आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, जो गरीब तबके के लोगों को सस्ती शराब का लालच देकर उनका आर्थिक शोषण करता है व नशे का आदी बनाता है, जिससे समाज में लगातार अनेक अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल राहुल के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब व पैण्डिगं कोर्ट चल रहे हैं।

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	84 / 11.05.2024	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	साहवा	14.11.2024	सजा 14.11.2024
2	133 / 22.09.2024	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	साहवा	27.09.2024	सजा 17.12.2024
3.	156 / 19.10.2024	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	साहवा	17.12.2024	सजा 17.12.2024
4.	26 / 16.02.2025	19 / 54 राज. आबकारी अधि.	साहवा	28.02.2025	पैण्डिगं कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल राहुल की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अधीक्षक चूरू ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अभियोजन अधिकारी एकपक्षीय सुनी गई।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरूद्ध 19/54 राज. आबकारी अधिनियम के तहत 04 मुकदमें दर्ज किये जाकर न्यायालय द्वारा 03 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है जबकि एक मुकदमा इस्तगासा प्रस्तुत करने की दिनांक को पैण्डिगं न्यायालय था। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 19/54 राज. आबकारी अधिनियम के तहत 03 बार दिनांक 14.11.2024, 17.12.2024 व दिनांक 17.12.2024 को सजा से दण्डित किया जा चुका है इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल राहुल पुत्र जयसिंह जाति वालमिकी उम्र 21 साल निवासी वार्ड नम्बर 19 कस्बा साहवा जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना साहवा जिला चूरू व थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू